

कार्यालय आदेश

निम्नांकित कनिष्ठ लेखाकार (परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी) को उनके आवेदन के आधार पर कॉलम 03 में अंकित पाठ्यक्रम में सम्मिलित होने की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

क्रम संख्या	नाम कनिष्ठ लेखाकार सर्वश्री	नाम पाठ्यक्रम/परीक्षा का नाम एवं सत्र	परीक्षा आयोजक संस्था	वर्तमान कार्यालय
1.	2.	3.	4.	5.
1.	मोहित गुर्जर (रोल नं.-762159)	एम.एस.सी. (प्रथम वर्ष) (विषय-गणित) सत्र-2025-26 (स्वयंपाठी)	वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा।	राजस्थान शहरी पेयजल सीवरेज एवं अवसरचना निगम लिमिटेड, जयपुर।

उक्त अध्ययन स्वीकृति राजस्थान सिविल सेवा (आचरण) नियम 1971 के प्रावधानों एवं नियुक्ति आदेश में वर्णित शर्तों के अतिरिक्त कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 18.11.2006 में वर्णित निम्न शर्तों के अधीन होगी :-

- 1 शिक्षण संस्थान में अध्ययन का समय कार्यालय समय के समान ही हो तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः समाप्त मानी जायेगी।
- 2 प्रत्येक वर्ष के लिये अलग-अलग स्वीकृति लेनी आवश्यक होगी।
- 3 विभाग की पूर्वानुमति प्राप्त किये बिना अध्ययन जारी रखने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने पर आपके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।
- 4 अध्ययन जारी रखने की स्वीकृति दिये जाने से किसी स्थान विशेष पर पदस्थापन निरन्तर रखने का अधिकार नहीं मिल सकेगा और इस दौरान अन्यत्र स्थानान्तरण किया जा सकता है।
- 5 अध्ययन जारी रखने से दैनिक राजकीय कार्य सम्पादन में किसी प्रकार की बाधा/ व्यवधान उत्पन्न होने पर यह स्वीकृति समाप्त कर दी जायेगी।
- 6 परीक्षा की तैयारी हेतु किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जावेगा।
- 7 प्रशासनिक कारणों से उक्त स्वीकृति बिना किसी पूर्व सूचना के निरस्त की जा सकती है।

(संध्या शर्मा)
5/12/2025

(संध्या शर्मा)

निदेशक एवं पदेन
संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक:-प.4(ई)(1)(6)निप/भर्ती-2023/(स्थापना)/अलेसे-III/ 10/56 दिनांक:- 08-12-2025

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. राजस्थान शहरी पेयजल सीवरेज एवं अवसरचना निगम लिमिटेड, जयपुर।
2. वरिष्ठ निजी सचिव, निदेशक महोदया।
3. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
4. श्री मोहित गुर्जर, कनिष्ठ लेखाकार (रोल नं.-762159) (परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी) कार्यालय राजस्थान शहरी पेयजल सीवरेज एवं अवसरचना निगम लिमिटेड, जयपुर।

(सीमा कौशल)
5/12/25

संयुक्त निदेशक (कार्मिक-III/III)